न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 42/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर – 2024/247

प्रार्थी

श्री तुलसीराम पुत्र मिसाराम
जाति–जाट,निवासी–जसनगर
तहसील–रियांबड़ी।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. श्री सुरेश कुमार,उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी।
2. श्री रामलाल पुत्र नारायणराम,जाति–जाट।
3. श्री रामाकिशन पुत्र नारायणराम–जाट निवासीगण–जसनगर।
4. शांतिदेवी पुत्री नारायणराम पत्नी नारायणराम,जाति–जाट, निवासी–जसनगर हाल उचारड़ा।
5. सीतादेवी पुत्री नारायणराम पत्नी घेवरराम जाति–जाट,निवासी–जसनगर हाल सातलावास
6. चुंकादेवी पुत्री नारायणराम पत्नी रतनाराम जाति–जाट,निवासी–जसनगर हाल निवासी गेमलियावास
7. गणपत देवी पुत्री नारायणराम पत्नी रामचन्द्र,जाति–जाट, निवासी–जसनगर हाल कुरड़ाया।
8. कचु देवी पुत्री नारायणराम पत्नी हरिराम जाति–जाट,निवासी–जसनगर हाल गेमलियावास
9. बाबूलाल पुत्र मिसाराम,जाति–जाट
10. श्रीकिशन पुत्र मिसाराम,जाति–जाट
11. छोटीदेवी पुत्री मिसाराम,जाति–जाट
12. कमलादेवी पुत्री मिसाराम,जाति–जाट
13. झणकारी पत्नी शंकरराम,जाति–जाट
14. नाथुराम पुत्र शंकरराम,जाति–जाट
15. ओमाराम पुत्र रतनाराम,जाति–जाट
16. चम्पादेवी पत्नी रतनाराम,जाति–जाट
17. पुखाराम पुत्र रतनाराम,जाति–जाट
18. रूपाराम पुत्र भागुराम,जाति–जाट
19. सुवादेवी पत्नी जीवणराम,जाति–जाट निवासीगण–जसनगर,तहसील–रियांबड़ी।
20. शाखा प्रबन्धक,मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जसनगर, तहसील–रियांबड़ी
21. तहसीलदार,रियांबड़ी।
22. पटवारी हल्का,जसनगर।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।
2. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री हनुमानराम।

:: आदेश :: **दिनांकः–30.07.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), रियांबड़ी में विचाराधीन प्रकरण रामलाल बनाम शांति देवी दावा मुकदमा नम्बर 155/2020 की पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से वकील श्री हनुमानराम ने दिनांक 28.01.2025 को जबाब पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से भी वकील श्री हनुमानराम ने वकालतनामा व जबाब प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.07.2025 को पेश किया जो संलग्न पत्रावली हैं।

अधीनस्थ न्यायालय के पीठीसीन अधिकारी ने प्रार्थना–पत्र पर टिप्पणी जरिऐ पत्र क्रमांक/कोर्ट/24/796 दिनांक 06.11.2024 से पेश कर प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुवे यह निवेदन किया हैं कि प्रकरण में न्यायिक सिद्वान्तों के परिपेक्ष्य में कार्यवाही की जा रही हैं। अगर माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं हैं।

प्रकरण में वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में मूल प्रार्थना–पत्र मे दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुए यह कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 4 से 22 के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रियांबड़ी में राजस्व वाद संख्या 155/2020 अन्वान रामलाल बनाम शांति देवी बाबत् घोषणा खातेदारी,रेकर्ड दुरूस्ती,बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हैं। जो न्यायालय सहायक कलक्टर,रियांबड़ी में विचाराधीन हैं। इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 पेशे से अधिवक्ता हैं तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार के प्रभाव में होने से इस प्रकरण में उनसे मनमर्जी से विधिक प्रावधानों के विरूद्व जाकर उक्त प्रकरण में कार्यवाही जा रही हैं। इसलिए इस प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,रियांबड़ी से किसी प्रकार के न्याय मिलने की उम्मीद नहीं हैं।

विद्वान वकील प्रार्थी का यह भी कथन हैं कि प्रार्थी द्वारा अभी हाल ही में दिनांक 13.08.2024 को अधीनस्थ न्यायालय में नकल आवेदन पेश कर नकल प्राप्त की तब अप्रार्थी संख्या 3 ने प्रार्थी को एलानियां धमकी दी कि अप्रार्थी संख्या 3 उक्त वाद का फैसला अपने हक में करवाकर प्रार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करके रहेगा। जिसका ताजा उदारहरण यह हैं कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपनी पैरवी हेतु अभिभाषक को न्यायालय में दिनांक 13.08.2024 को वकालतनामा पेश किये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में इसका उल्लेख नहीं किया गया हैं तथा विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थी के विरूद्व

कलक्टर नागौर

एकपक्षीय आदेश पारित किया जाकर प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय किये जाने की ठान ली हैं,जिससे प्रार्थी को यह विश्वास हो गया हैं कि उक्त प्रकरण में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थी संख्या 3 मिले हुवे हैं तथा इस प्रकरण में उनसे न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं हैं। इसलिए निवेदन हैं कि प्रकरण की सुनवाई हेतु अन्य सक्षम न्यायालय में प्रकरण को मुन्तकिल किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी का दौराने बहस कथन हैं कि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी ग्राम जसनगर के मूल निवासी होने से तथा ग्राम जसनगर के राजस्व प्रकरणों का सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय सहायक कलेक्टर,रियांबड़ी को हैं। इसी क्षेत्राधिकार के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने बंटवांड़ा का दावा ग्राम जसनगर की भूमि का पक्षकारों के बीच करवाने हेतु राजस्व वाद संख्या 155/2020 बअनुवान रामलाल वगैराह बनाम शांतिदेवी पेश किया गया हैं। माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने के लिए विधिवत् सम्मन जारी किये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने इकबालिया जबाब दावा पेश किया हैं,जबकि प्रतिवादीगण संख्या 7 से 18 के सम्मन जरिऐ रजि0डाक भेजे जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से माननीय न्यायालय द्वारा उनके विरूद्व दिनांक 12.09.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं। प्रार्थी तुलसीराम न तो न्यायालय में उपस्थित हुआ हैं एवं न ही उनकी ओर से न्यायालय में कोई वकालतनामा पेश किया गया हैं,जिससे माननीय न्यायालय ने उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये हैं,जो सही पारित किये हैं। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

विद्वान वकील प्रार्थी ने यह भी तर्क किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में मनगढ़त तथ्य दर्ज किये हैं तथा प्रार्थी एक सरकारी अध्यापक होने के बावजूद प्रार्थना–पत्र के साथ अपना झूठा शपथ–पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी का एक मात्र उद्देश्य प्रकरण को लम्बित करना हैं तथा न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की छवी को धूमील करना हैं। प्रार्थना–पत्र में कोई ठोस आधार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का खारिज फरमाया जावें।

राजपैरोकार श्री अनिल पुनियां का दौराने बहस कथन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में नियमों के परिपेक्ष में विधिक कार्यवाही की जा रही हैं। प्रार्थी ने प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया हैं,जो खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा प्रार्थना–पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की प्रस्तुत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता हैं कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते समय अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेशिकाओं की प्रतियॉ प्राप्त कर इस प्रार्थना–पत्र के संलग्न पेश की हैं। प्रतिलिपि प्राप्त करते समय अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा वकालतनामा पेश किये जाने पर ही उन्हें नियमानुसार प्रकरण की आदेशिकाओं की प्रतियॉ उपलब्ध करवायी होगी जो प्रकरण की प्रतिलिपि जारी होने के बाद प्रतिलिपि का आवेदन–पत्र एवं उसके संलग्न वकालतनामा इस पत्रावली के साथ संलग्न किया जाना होता हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं में वकालतनामा प्रस्तुत होने का अंकन नहीं होने से प्रार्थी के मन में पीठासीन अधिकारी के विरूद्व आशंका हुई हैं एवं उसी आधार पर संभवतय यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया हैं। अब इस प्रकरण में प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने की आशंका प्रकट की हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा भी अपनी टिप्पणी में प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना प्रकट किया हैं। इसलिए न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

कलक्टर नागौर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी),रियांबड़ी के प्रकरण संख्या 155/2020 अन्वान रामलाल बनाम शांतिदेवी को न्यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी),मेड़ता में आगामी सुनवाई हेतु मुन्तकिल किया जाता हैं। उपखण्ड अधिकारी,रियांबड़ी को आदेशित किया जाता हैं कि मूल प्रकरण संख्या 155/2020 आगामी सुनवाई हेतु सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),मेड़ता को भेजा जावें। निर्णय की प्रति दोनों सम्बन्धित न्यायालय को भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर